न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रायसिंहनगर

पीठासीन अधिकारी :–सुभाषचन्द्र
(आर.ए.एस.)

प्र.सं. 39/2024
जीसीएमएस : 2024/91

साक्षी बनाम बलराम आदि
अन्तर्गत धारा 88–92ए–209 आरटीएक्ट

उपस्थिति :–
1.श्री रणवीरसिंह प्रार्थी (प्रतिवादी अधि)
2. श्री नरेन्द्र कुमार भादू वकील अप्राथी (वादी अधि.)

<u>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा आदेश 7 नियम 11(डी) एवं धारा 207 राज. काश्त. अधि.</u>

–: निर्णय प्रार्थनापत्र :–

दिनांक : 19.06.2025

1. संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से हैं कि प्रार्थी/प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 ने प्रार्थना पत्र आ. 7 नि. 11 व धारा 151 सीपीसी प्रस्तुत निवेदन किया है कि अप्रार्थी/वादी ने चक ठाकरी ए के खाता संख्या 278/123 के मुरब्बा नं. 135 पं.नं. 224/312 के 1.873 है. व खाता संख्या 292/72 मुरब्बा नं. 136 पं.नं. 225/312 में 0.506 है. कुल 2.379 है. भूमि जो प्रतिवादी सं. 1 के नाम से है में से 2/3 हिस्सा हक घोषित करवाने चक 42 एनपी के खाता संख्या 70/57 मु.नं. 35 पं.नं. 323/316 मुरब्बा नं. 36 पं.नं. 224/316 की कुल 7.340 है. नहरी भूमि पैतृक सम्पति होने के कारण इसमें प्रतिवादी सं. 1 का 1/3 भाग यानि 2.446 है. भूमि में 2/3 भाग घोषित करवाने का वाद पेश किया है। प्रतिवादी संख्या 1 को विवादित भूमि उसके चाचा दुलीचन्द्र से मु.नं. 136 के 0.506 है. व शेष भूमि बृजलाल से जरिये दान–पत्र आई है इसलिए यह भूमि स्वयं अर्जित भूमि है। प्रतिवादी नं. 1 के जीवनकाल में वादीगण का कोई हक व हिस्सा नहीं बनता है प्रतिवादी नं. 2 रामलाल को जरिये तमलीकनामा खरीद की हुई है इसलिए प्रतिवादी नं. 2 की 7.340 है. भूमि स्वयं अर्जित है जिसके जीवनकाल में किसी का कोई हक व हिस्सा नहीं है। इस प्रकार जब तक प्रविताादी सं. 1 के नाम से उक्त भूमि में से हिस्सा नहीं बनता है तब तक वादीगण किसी प्रकार से किसी की भूमि में हक व हिस्सा प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है। प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 के विरूद्व स्वयं अर्जित भूमि होने की वजह से वाह हेतुक वादीगण को प्राप्त नहीं है। प्रतिवादी सं. 3 नरेश कुमार वादीगण का ताऊ है प्रतिवादी नं. 4 भुआ है इससें वादीगण किसी प्रकार से इनकी भूमि में हक व हिस्सा प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है। स्वयं अर्जित भूमि का सबूत पेश है अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि न्याय हित में प्रतिवादी सं. 1 व 2 की स्वयं अर्जित भूमि होने की वजह से वादीगण उनके जीवनकाल में कोई हक व हिस्सा प्राप्त करने के अधिकारी नहीं होने की वजह से वादीगण का दावा खारिज फरमाया जावें। प्रतिवादी नं. 3 वादीगण का ताऊ है प्रतिवादी नं. 4 भुआ है उनसे भी वादीगण किसी प्रकार से हक व हिस्सा का अनुतोष प्राप्त करने के अधिकारी नहीं हैं। इसलिए वादीगण का वाद–पत्र मय खर्चा खारिज फरमाया जावे। जवाब देही का विशेष हर्जना दिलाया जावे।
2. अप्रार्थी/वादी द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर अवगत करवाया कि वादीगण द्वारा चक ठाकरी ए के खाता संख्या 278/123 के मु.नं. 5 पं.नं. 224/312 के 1.873 है. व खाता सं. 292/72 मु.नं. 136 पं.नं. 225/312 में 0.506 है. कुल 2.379 है. भूमि में 2/3 हिस्सा हक घोषित करवाने व चक 42 एन.पी. के खाता संख्या 7[illegible] 70/57 मु.नं. 35 पं. नं. 323/316 मु.नं. 36 पं.नं. 224/316 की कुल 7.34[illegible] नहरी भूमि पैतृक सम्पति के कारण उक्त पैतृक भूमि का बंटवारा करवाने हेतु उक्त दावा [illegible]ीय न्यायालय में पेश किया हुआ है लेकिन प्रतिवादीगण द्वारा उक्त भूमि का बंटवारा व प्रकरण में उलझाव व विलम्ब पैदा करने की नियत से यह प्रार्थना पत्र पेश किया है जो विधि विरूद्ध है इसलिए प्रतिवादीगण द्वारा पेश यह प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने योग्य है। उक्त भूमि पैतृक भूमि है तथा उक्त पैतृक भूमि होन के कारण वादीगण अपने–अपने हिस्सा की मांग करते

Signature Not Verified
Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2025.07.10 16:30:22 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर

AnyScanner

हुए भूमि का बंटवारा करवाने के लिए वाद पेश किया है लेकिन प्रतिवादीगण ने उक्त पैतृक भूमि में हम वादीगण के हिस्सा व हक की भूमि हड़प करने की नियत से यह प्रार्थना पत्र पेश किया है तथा प्रतिवादीगण द्वारा प्रकरण में बेवजह ही उलझाव पैदा किया जा रहा है इसी के वंशीभूत होकर प्रतिवादीगण ने यह प्रार्थना पत्र पेश किया है जो काबिल खारिज के है। उक्त विवादित भूमि पैतृक सम्पति है तथा वादीगण का पैतृक सम्पति में पैतृक हक व हिस्सा है इसलिए वादीगण ने अपने पैतृक हिस्सा को प्राप्त करने हेतु वाद पेश किया है इसलिए वादीगण को वाद हेतूक स्पष्ट रूप से प्राप्त है तथा वादीगण द्वारा उक्त पैतृक व विवादित भूमि में अपने-अपने ही हिस्सा की मांग की गई है प्रतिवादीगण को उनके हक व हिस्सा में कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जा रहा है केवल मात्र प्रकरण में देरीना करने व व्यवधान पैदा करने की नियत से प्रतिवादीगण द्वारा यह प्रार्थना पत्र पेश किया गया है जो काबिल खारिजी के है जो खारिज फरमाया जावें। अतः जवाब प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 व धारा 151 सी.पी.सी. प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र प्रतिवादीगण मय हर्जा खर्चा खारिज फरमाया जावे।

3. वकील उभयपक्ष की बहस प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 एवं धारा 151 सीपीसी सुनी गयी। प्रार्थी/प्रतिवादी अधि. ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दौराया व कथन किया कि उक्त विवादित भूमि तमलीकनामा जरिये रजिस्ट्री बहक रामलाल द्वारा मनीराम दिनांक 21.01.1957 द्वारा स्वीकृत किया गया है तथा नामान्तरण सं. 835 दिनांक 20.09.2020 जरियें दानपत्र की प्रमाणित प्रति पेश कर कथन किया कि उपरोक्त दस्तावेजों से वादग्रस्त कृषि भूमि प्रार्थीगण/ प्रतिवादीगण की स्वयं अर्जित सम्पति है जिसमें वादीगण /अप्रार्थीगण का जीवनकाल में कोई हक व हिस्सा नही बनना पाये जाने के कारण वादीगण का वाद विधि विरूद्व है अतः प्रार्थीगण/ प्रतिवादीगण का प्रार्थना पत्र आ. 7 नि. 11 व 151 सीपीसी स्वीकार किया जाकर वाद वादी इसी स्तर पर अस्वीकार/खारिज किया जावे। जवाब बहस में विद्वान अधिवक्ता वादी ने जवाब प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए। कथन किया है कि वादग्रस्त कृषि भूमि वाके चक ठाकरी ए एवं 42 एनपी जमाबंदी पेश कर निवेदन किया है कि समस्त वाद ग्रस्त कृषि भूमि हिन्दू परिवार की कृषि भूमि थी। जो श्री मनीराम, मुख्स्मात जीवनी, श्री राम मुख्स्मात गंगा एवं प्रतिवादी संख्या 2 रामलाल के नाम से दर्ज रिकार्ड है इस प्रकार वादग्रस्त कृषि भूमि हिन्दू परिवार की पैतृक सम्पति होने के कारण वादीगण/अप्रार्थीगण का जन्म से ही हक व अधिकार है जिसें वादीगण/अप्रार्थीगण अधिकारों की घोषित कराने के अधिकारी है इस प्रकार वादीगण का वाद विधि अनुसार होने के कारण प्रार्थना पत्र आ. 7 नियम 11 एवं धारा 151 सीपीसी प्रतिवादी का खारिज किया जावे।

4. बहस उभपक्ष सुनी गयी। प्रार्थीगण/ प्रतिवादीगण एवं अप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया । न्यायालय को इस प्रार्थना पत्र एवं जवाब प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों की विवेचना आदेश 7 नियम 11 एवं धारा 151 सीपीसी के प्रावधानों के अनुसार करनी है। प्रतिवादीगण /प्रार्थीगण ने अपने प्रा. पत्र में कथन किया है कि वादग्रस्त कृषि भूमि प्रतिवादीगण/ प्रार्थीगण की स्वयं अर्जित भूमि है इस कारण वाद वादीगण विधि द्वारा वर्जित होने के कारण खारिज योग्य है न्यायालय ने इस संबंध में संबंधित विधि का ससम्मान अवलोकन किया। न्यायालय के समक्ष इस स्तर पर विचारणीय प्रश्न यह है कि " क्या इस वादपत्र में वर्णित वादग्रस्त कृषि भूमि प्रतिवादीगण की स्व अर्जित कृषि भूमि है ? अगर उपरोक्त वादग्रस्त कृषि भूमि स्वअर्जित है तो क्या वादीगण उपरोक्त वादग्रस्त कृषि भूमि में अपने हक व अधिकारों की घोषणा करवाने के पात्र है अथवा नहीं ? वादीगण द्वारा वादग्रस्त कृषि भूमि के हक व अधिकारों की घोषणा चाही गयी है वादग्रस्त कृषि भूमि के संबंध में प्रतिवादीगण द्वारा प्रतिवादी बलराम की 10 बीघा कृषि भूमि में से मु.नं. 136 की कृषि भूमि चाचा दुलीचन्द्र से जरिये दानपत्र से प्राप्त होना साबित होता है इसके अति[illegible] जो वादग्रस्त कृषि भूमि है वह कृषि भूमि प्रतिवादी रामलाल को वर्ष 19[illegible] तमलीकनामा मनीराम से खरीद करना साबित है तथा शे[illegible] बीकानेर राज्य होने के दौरान की महाराजा श्री गंगासिं[illegible] खातेदारी [illegible] भूमि है जो राज.काश्त. कानून 1956 के लागू होने से [illegible] आवंटन होकर मौखसी अधिकार प्राप्त हुए है [illegible] वादीगण के अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों से भी होती है इस प्रकार पत्रावली [illegible] उपलब्ध दस्तावेजों से वादग्रस्त

Signature Not Verified
Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2025.07.10 16:30:22 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर

कृषि भूमि प्रतिवादी बलराम एवं रामलाल की स्वयं अर्जित भूमि होना साबित होता है इस वादग्रस्त कृषि भूमि के संबंध में एक ओर स्वीकृत स्थिति यह भी है प्रतिवादी रामलाल एवं बलराम दोनों जीवित है यहां यह भी महत्वपूर्ण है कि कोई भी सम्पति में कोई भी सम्पति जो जिस स्थिति में प्राप्त हुई हो उसके संबंध में कोई परिर्वतन नहीं पाया गया है इस प्रकार वादग्रस्त कृषि भूमि प्रतिवादी बलराम एवं रामलाल के जीवनकाल में न्यायालय के विनम्र मत में उनकी स्वयं अर्जित कृषि भूमि है जिसका उपयोग–उपभोग एवं आवश्यकतानुसार प्रयोग में लेने हेतु प्रतिवादीगण अपने जीवनकाल में स्वतंत्र है। उक्त तथ्यों के आधार पर प्रतिवादीगण का प्रार्थना पत्र आ. 7 नि. 11 एवं धारा 151 सीपीसी स्वीकार किया जाना न्यायसंगत है।

–:आदेश:–

उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी /प्रतिवादीगण का प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 एवं धारा 151 सीपीसी न्यायहित में स्वीकार किया जाकर वाद पत्र वादी का इसी स्तर पर खारिज किया जाता है।

(सुभाषचन्द्र)
आर.ए.एस.
उपखण्डअधिकारी
रायसिंहनगर

उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर

Signature Not Verified

Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2025.07.10 15:30:22 IST
Reason: SelfAttested

SCAN AnyScanner

डिक्री व मुकदमें इब्तदाई
(आदेश 20 रूल 6–7 जाब्ता : दीवानी)

C/VIL PROCEDURE CODE APPENDIX D-1

आज अदालत उपखण्ड अधिकारी(राजस्व) मुकाम रायसिंहनगर
बईजलास : सुभाष चन्द्र आर.ए.एस.

सं. 39 / 2024 जीसीएमएस : 2024 / 91

1. साक्षी पुत्री बलराम जाति जाट साकिन 42 एन.पी. हाल देवनगर पीलीबंगा तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राज.।
2. लक्ष्य पुत्र बलराम जाति जाट साकिन देवनगर पीलीबंगा नाबालिंग बजरिये बली कुदरती माता ममता पत्नी बलराम जाति जाट साकिन 42 एन.पी. हाल देवनगर पीलीबंगा तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राज तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़

–:वादीगण

बनाम

1. बलराम पुत्र रामलाल जाति जाट साकिन 42 एन.पी. तहसील रायसिंहनगर जिला अनूपगढ़ राज.।
2. रामलाल पुत्र मनीराम जाति जाट साकिन 42 एन.पी. तहसील रायसिंहनगर जिला श्री गंगानगर राज।
3. नरेश कुमार पुत्र रामलाल जाति जाट साकिन 42 एन.पी. तहसील रायसिंहनगर जिला श्री गंगानगर राज.।
4. सुशीला पुत्री रामलाल पत्नी राजेन्द्र कुमार पुनिया जाति जाट साकिन 42 एन.पी. हाल समेजा कोठी तहसील रायसिंहनगर।
5. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिए तहसीलदार राजस्व रायसिंहनगर।

–:प्रतिवादीगण

वादपत्र अन्तर्गत धारा 88–92ए–209 राज0 काश्त0 अधि0 1955
प्रार्थना पत्र आ. 7 नि. 11 एवं 151 सीपीसी

–: निर्णय :– दिनांक : 19.06.2025

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई बरूबरू हमारे बहाजरी श्री नरेन्द्र कुमार भादू अधिवक्ता वादीगण, रणवीर सिंह अधिवक्ता प्रति. सं. 1 ता 4 पेश होकर हुकम दिया जाता है एवं डिक्री की जाती है कि प्रार्थना पत्र प्रतिवादी सं. 1 ता 4 (प्रार्थीगण / प्रतिवादी) अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी. स्वीकार किया जाता है। वाद वादी इसी स्टेज पर खारिज किया जाता है।

आज दिनांक 19.06.2025 को न्यायलय की मुद्रा व मेरे हस्ताक्षर से जारी की गई।

(सुभाषचन्द्र)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर

उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर

Signature Not Verified

Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2025.07.10 15:30:22 IST
Reason: SelfAttested